न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प साजियाली रुपजी राजाबेरी

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 734/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 प्रहलादराम पुत्र विशनाराम चौधरी 2 शंकरलाल पुत्र विशनाराम चौधरी 3 भुराराम पुत्र विशनाराम चौधरी निवासीयान किटनोद		1 लुम्बाराम पुत्र दयाराम कौम चौधरी के कायम मुकाम 1/1 हितेश कुमार पुत्र लुम्बाराम चौधरी 1/2 कमला देवी पत्नि लुम्बाराम चौधरी 2 आम्बाराम पुत्र दयाराम चौधरी 3 लादाराम पुत्र दयाराम चौधरी 4 मालाराम पुत्र नेनाराम चौधरी 5 दयाराम पुत्र नेनाराम चौधरी 6 भंवरलाल पुत्र नेनाराम चौधरी 7 गवरी देवी पत्नि नेनाराम चौधरी 8 सुरेश कुमार पुत्र हड़मानाराम चौधरी 9 जीवाराम पुत्र हड़मानाराम चौधरी 10 सोमती देवी पत्नि हड़मानाराम चौधरी निवासीयान किटनोद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 हेतु तरमीम करने बाबत

आदेश

उपस्थित : प्रार्थी व विप्रार्थी

दिनांक : 28.06.2018

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा किटनोद में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 351 रकबा 79.01 बीघा आया हुआ है उक्त खसरे मे खसरा संख्या 351/1, 351/2 , 351/3, 351/4 दर्ज किये गये मौजुदा राजस्व रेकर्ड में 877/351,878/351,879/351,880/351 दर्ज है। उपरोक्त खसरे की भूमि का आपसी बटवाड़ा हम पक्षकारान के बीच संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" के अनुसार हुआ तथा इस अनुसार बाद बटवाड़ा के अमल करते मौके पर अलग–अलग काबिज कास्त हुए तथा परिशिष्ट "अ" में बताये अनुसार हम पक्षकारान मौके पर आज दिन तक काबिज होकर कास्त करते आ रहे है नक्शा परिशिष्ट "अ" प्रार्थना पत्र का अंग शुमार किया जाता है। खसरा नंबर 350 गैर मुमकिन बेरा व सड़ा सभी पक्षकार का संयुक्त शामलाती रखा गया था हल्का पटवारी ने नक्शे में तरमीम गलत दर्ज कर दी खसरा नंबर 351/2 के खातेदार के कटाण के रास्ते से आने जाने हेतु रास्ते का ध्यान नही रखा न शामलाती बेरा खसरा नंबर 350 पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 351/2,351/3,351/1 के खातेदरान के लिये कोई व्यवस्था नहीं दी गयी मौके पर कब्जा कास्त को ध्यान में रखकर उक्त तरमीम नही की गयी है जिससे उक्त की गई गलत तरमीम से विवाद खड़ा हो गया है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है पूर्व तरमीम की नक्शा साथ पेश है पूर्व में की गयी नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम को दुरुस्त कर माफिक परिशिष्ट

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

''अ'' के नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम दर्ज करने व बेरा से कटाण के रास्ते तक आने जाने हेतु माफिक परिशिष्ट ''अ'' के रास्ता रखा जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण ने दिनांक 27.06.2018 को कैम्प कोर्ट में जबाब पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों का समर्थन किया कि पूर्व में की गयी गलत तरमीम को दुरुस्त कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस के तरमीम दर्ज करावे व बेरा खसरा नंबर 350 शामलाती में रखा जावे बेरे से कटाण के रास्ते पर जाने हेतु माफिक परिशिष्ट ''अ'' के रास्ता रखा जावे।

हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किय तथा ध्यान पूर्वक अध्यन कर मनन किया गया। पूर्व में की गई तरमीम में राजस्व मण्डल के विभाजन नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया है आवागमन के रास्ते व शामलाती बेरा पर व कटाण मार्ग तक जाने का कोई रास्ता नहीं दर्ज किया गया खसरा नंबर 350 सामलाती रखा गया परन्तु शेष खातेदार खसरा नंबर 351/2, 351/3, 351/1 को बेरा पर जाने का कोई रास्ता नही रखा गया व न ही बेरा से कटाण मार्ग तक रास्ता रखा गया है इस से यह स्पष्ट है कि तरमीम गलत की गई तरमीम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय संगत होने से स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश दिये जाते है प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार बेरा सामलाती रखते हुए बेरा से कटाण मार्ग तक रास्ता रखते हुये परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार नये सिरे से तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट साजियाली रुपजी राजाबेरी में खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प–2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प साजियाली रुपजी राजाबेरी

Scanned by CamScanner